जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक : प्रशा/जीविवि/2017/ 1092 दिनांक : 11 /08/2017

//अधिसूचना//

म0प्र0 लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत् उच्च शिक्षा विभाग की सेवायें, पदाभिहित अधिकारी का नाम, पदनाम, शर्तें, प्रक्रिया इत्यादि निम्नानुसार अधिसूचित की गई है:–

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदना	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय–सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय–सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
1.	नामांकन/माइग्रेशन प्रमाण–पत्र प्रदान करना	श्री अभयकान्त मिश्रा, सहायक कुलसचिव, परीक्षा	03–कार्य दिवस	डॉ0 राजीव मिश्रा, उप–कुलसचिव, गोपनीय	07–कार्य दिवस	प्रो0 आनन्द मिश्रा, कुलसचिव
2.	प्रोवीजनल उपाधि/डुप्लीकेट अंकसूची प्रदान करना	श्री अभयकान्त मिश्रा, सहायक कुलसचिव, परीक्षा	02–कार्य दिवस	डॉ0 राजीव मिश्रा, उप–कुलसचिव, गोपनीय	07–कार्य दिवस	प्रो0 आनन्द मिश्रा, कुलसचिव
3.	अंकसूची में सुधार/नाम/उपनाम (सरनेम) सुधार करना	श्री अभयकान्त मिश्रा, सहायक कुलसचिव, परीक्षा	02–कार्य दिवस	डॉ0 राजीव मिश्रा, उप–कुलसचिव, गोपनीय	07–कार्य दिवस	प्रो0 आनन्द मिश्रा, कुलसचिव
4.	शोध उपाधि समिति (आरडीसी) की बैठक में लिए गए समस्त आक्षेपों के निराकरण होने के बाद शोध पंजीयन पत्र प्रदान करना	श्री यू0एस0 सालसेकर, सहायक कुलसचिव, अकादमी	15–कार्य दिवस	उप–कुलसचिव, अकादमी	07–कार्य दिवस	प्रो0 आनन्द मिश्रा, कुलसचिव
5.	शोध प्रबंध (Thesis) प्रस्तुति के पश्चात् पीएचडी अवार्ड करने के संबंध में अंतिम निर्णय लेना	श्री यू0एस0 सालसेकर, सहायक कुलसचिव, अकादमी	180–कार्य दिवस	उप–कुलसचिव, अकादमी	07–कार्य दिवस	प्रो0 आनन्द मिश्रा, कुलसचिव

अ) आवेदक को परिशिष्ट "1" में दर्शाये गये प्रपत्र के अनुसार आवेदन करना होगा।

ब) पदाभिहित अधिकारी नियम 5(1) के अंतर्गत संलग्न परिशिष्ट "2" में आवेदक को निर्धारित प्रारूप में की प्राप्ति देगे।

स) पदाभिहित अपने कार्यालय में नियम 16 के अंतर्गत परिशिष्ट "3" में लोक सेवा प्रदान की गई संबंधी पंजी संधारित करेगे।

द) आवेदक को अपने आवेदन के साथ रूपये 100/– (एक सौ रूपये) शुल्क स्वरूप चालान/आई0पी0ओ0 द्वारा जमा कराने होगे।

य) आवेदक अपने आवेदन के साथ समस्त वांछित अभिप्रमाणित अभिलेख संलग्न करने होगे।

र) लोक सेवा गारण्टी अधिनियम, 2010 की धारा 6.2 के अनुसार शास्ति अधिरोपित करने का अधिकार द्वितीय अपीलीय अधिकारी को है।

ल) लोक सेवा गारण्टी अधिनियम, 2010 की धारा 6.2.1(क) के अनुसार पदाभिहित अधिकारी के विरूद्ध शास्ति बिना पर्याप्त तथा युक्तियुक्त कारण के सेवा प्रदान करने में असफल रहने पर न्यूनतम रूपये 500/– तथा अधिकतम रूपये 5000/– होगी। सेवा प्रदान करने में विलम्ब करने की स्थिति में यह राशि रूपये 250/– प्रतिदिन के मान से अधिकतम रूपये 5000/– होगी।

व) लोक सेवा गारण्टी अधिनियम, 2010 की धारा 6.2.3 के अनुसार पदाभिहित अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करने से पूर्व उन्हें नैसर्गिक न्याय के सिद्वांत के अनुपालन में अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया जायेगा।

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार

(कुलसचिव)

प्रति,

1) समस्त संबंधित पदाधिकारी, जीविवि।

प्रतिलिपि,

1) श्री संजय बरथरिया, उक्त अधिसूचना विश्वविद्यालय की बेवसाईट पर तत्काल अपलोड करावे, ताकि आमजन म0प्र0 शासन की नीतियों के अनुरूप इस व्यवस्था का लाभ ले सके।

उप–कुलसचिव,(प्रशा)